समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, केम्प भोपाल

R-338/B/17

प्रकरण कमांक /2017

श्रीमति प्रेमलता शर्मा, आयु लगभग 57 वर्ष
पत्नी श्री कैलाश शर्मा
निवासी 24, द्वारकापुरी, कोटरा सुल्तानाबाद
भोपाल ..... आवेदिका

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 2.1.2017 पारित व्दारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत भोपाल अंतर्गत प्रकरण कमांक 36/अ–3/15–16 , जिसके व्दारा उन्होने तहसीलदार महोदय को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की , पक्षकारगण श्रीमति प्रेमलता शर्मा विरूद्ध शासन

आवेदिका की ओर से निवेदन है कि:

प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका ने अपनी स्वयं की भूमि खसरा कमांक 234/1/2 /1 /1 /1 –क /1 /2 क्षेत्रफल 0.809 हेक्टर स्थित ग्राम गोरा तहसील हुजूर जिला भोपाल के बटान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमे राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं आम सूचना के प्रकाशन के उपरांत उसके स्वत्व एवं अधिपत्य के आधार पर बटान दिनांक 21.7.2016 को स्वीकृत किया गया था । इस बटान के स्वीकृत होने के पश्चात दिनांक 27.12.2016 को माननीय तहसीलदार महोदय ने राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त बटान को पुनः खोलते हुए अपना प्रतिवेदन माननीय अधिनस्थ न्यायालय अर्थात माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया कि आवेदिका व्दारा जो बटान कराया गया है उसके पूर्व वर्ष 2004–05 मे भी बटान स्वीकृत हो चुका था किंतु नक्शे मे स्थापित नही हुआ था । इस कारण वर्तमान बटान आदेश दिनांक 21.7.2016 निरर्थक होकर निरस्तीयोग्य है । इस संबधं मे उन्होने प्रकरण को स्वमेव पुनर्विलोकन मे लेते हुए अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया एवं माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने उसे स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनर्विलोकन करने की अनुमति प्रदान कर दी। जबकि म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 51 (1) के तृतीय परंतुक मे स्पष्ट रूप से प्रावधान दर्शाया गया है कि निजी व्यक्तियो के अधिकारो के संबंध मे पुनर्विलोकन किसी पक्षकार के आवेदनपत्र ही गृहण किया जायेगा जबकि वर्तमान प्रकरण मे किसी भी पक्षकार व्दारा आवेदन न दिया जाकर माननीय विचारण न्यायालय व्दारा स्वमेव पुनर्विलोकन प्रारंभ किया गया है। ऐसी अवस्था मे ऐसे प्रतिवेदन सह आदेश से व्यथित होकर निम्नलिखित आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है कि:

निगरानी के आधार

1. यह कि निगरानीग्रस्त आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

XXXIII(5)-BR (H)-10

105

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक R-338-PBR/17

श्रीमती प्रेमलता .... विरुद्ध शासन

तहसील .... जिला भोपाल

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक............ जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक............

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक............ तहसील का प्रकरण क्रमांक............

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	अनु० अधि० २६ नर. टी टी नगर भोपाल ~~आयुक्त संभाग~~ / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक 2-01-17 के विरुद्ध श्री अतुल खारीवाल के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/............ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	
23.1.2017	आवेदिका की ओर से श्री अतुल खारीवाल अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 2.1.2017 निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उभय पक्ष सुनवाई का	

[पीछे देखिये

प्रमतला ४ प्रधान
R 338 PBR/17 मोयाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर)	अवसर देते हुये पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने पर बोलता हुआ आदेश पारित करें। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	

शाक्षेमुद्रा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.